न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आगनवाड़ी अपील वाद– 84/2016

मीरा देवी वनाम राज्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी मीरा देवी, पति– नारायण मेहता के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के ज्ञापांक 1042–1 दिनांक– 10.06.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमण्डल सहरसा के न्यायालय मे दाखिल किया गया। समाज कल्याण विभग द्वारा निर्गत पत्र 3226 दिनांक– 11.08.2015 में वर्णित सशोधित निदेशक कडिका– 10/10–4 तथा 10/10–07 के आलोक में वाद हस्तानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ हैं।

विभागीय निदेश के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत की गई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी का कहना है कि आंगनवाड़ी केन्द्र सख्या– 65 ग्राम– हुसैनचक, पचायत– महखड, थाना– बख्तियारपुर, जिला– सहरसा के अन्तर्गत पडता है, जिस केन्द्र पर अपीलार्थी सहायिका के पद पर कार्यरत थी। दिनांक– 18.06.2012 को उकत केन्द्र से संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर द्वारा केन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय अपीलार्थी उक्त केन्द्र पर मौजुद थी। सेविका पल्स पोलिया कार्यक्रम में गयी थी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समय के बाद केन्द्र पर पहुँची थी। सहायिका मौजुद थी। सेविका का पल्स पोलियो कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण खाता उपलब्ध नही करा पाई चुँकि खाता सेविका के पास रहता हैं। अपीलार्थी का अग्रेतर कहना है कि जॉच पदाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरान्त जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा स्पष्टीकरण की माग उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सेविका एवं सहायिका से की गई, जिसका स्पष्टीकरण सेविका एवं अपीलार्थी द्वारा समय सीमा के अन्तर्गत दाखिल किया गया वो सुनवाई के दरम्यान सेविका का स्पष्टीकरण यह कहते हुए स्वीकार किया गया कि आगनवाड़ी केन्द्र का सचालन विभागीय नियमानुकूल सुनिश्चित करें तथा अपीलार्थी सहायिका मीरा देवी को चयन मुक्त करकने का आदेश दिया गया। अपीलार्थी का अग्रेतर कहना है कि निरीक्षण के दौरान अपीलार्थी केन्द्र पर मौजूद थी। बच्चे भी उपस्थित थे। केन्द्र का संचालन सहायिका कर रही थी। सेविका पल्स पोलिया कार्यक्रम मे व्यस्त थी। वहीं खाता सेविका के पास रहता है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई भी गलती या अनियमितता जॉच पदाधिकारी द्वारा नहीं पाया गया । चयन मुक्ति आदेश में भी सहायिका के विरूद्ध कोई भी अनियमितता नहीं दिखलाया गया। चयन मुक्त किया जाना सरासर नियम के विरूद्ध हैं।

अंततः अपीलार्थी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहरसा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर के आदेश दिनांक– 10.06.2013 को रद्ध कर पुनः सहायिका के पद पर योगदान कराने का आदेश देने की याचना की गयी हैं।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी वकील को सुना। अभिलेख तथा संलग्न कागजातो का अवलोकन किया। जिला प्रोग्राम पदाधिकाकरी, आई०सी०डी०एस० के आदेश ज्ञापांक 1042–1 दिनांक–10.06.2013 का अवलोकन किया। सुश्री मोनिका रानी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर द्वारा दिनांक– 18.06.2012 को महखड पंचायत अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र हुसैनचक उत्तरी केन्द्र सख्या– 65 की जाच की गयी। जॉच के क्रम में केन्द्र सचालन मे निमनलिखित अनियमितता /त्रुटियॉ पायी गयी–

01. केन्द्र पर कोई भी पजी नहीं था।
02. केन्द्र पर एक भी बच्चे नहीं थे।
03. आगनवाड़ी सेविका पल्स पोलिया कार्यक्रम में व्यस्त थी।
04. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सहायिका को चयन मुक्ति करकने अनुशंसा की गयी।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सिमरीबख्तियारपुर द्वारा दिनांक– 18.06.2012 को किये गए निरीक्षण में दिये गए प्रतिवेदन केन्द्र की स्थिति बद पाया गया समय अकित नहीं हैं। सेविका पल्स पोलिया मे एव केन्द्र पर बच्चो की उपस्थिति शून्य, पोषाक मे उपस्थित बच्चा की सख्या– शून्य,

4.8.17

केन्द्र असंचालित पाया गया। केन्द्र पर कोई भी पंजी नहीं थी, को चयनमुक्त करने की अनुशंसा की गयी है। उकत प्रतिवेदन भावना प्रेरित प्रतिवेदन परिलक्षित होता है। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा पारित आदेश विभागीय मार्गदर्शिका 2011, सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक– 2862 दिनांक– 04.11.2011 के कंडिका 10.8 के आलोक में सहायिका का चयन मुक्ति आदेश वाह्यजनित कारणं (Extraneous reasons) से की गयी प्रतीत होता हैं।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। चूँकि आंगनवाड़ी सेविका की अनुपस्थिति में सहायिका की जिम्मेवारी है कि केन्द्र का संचालन सही प्रकार से हो, जिसमें अपीलार्थी असफल रही है। अतः अपीलार्थी का अपील अस्वीकृत किया जाता हैं।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

4.3.17

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

4.3.17

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 433-2 / विधि, सहरसा, दिनांक– 09-03-2017 ,

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख संख्या– 195/2012–13 मूल में संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
7.3.17